

सूचना

प्रति. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविण/परीषद/सम्बद्ध/2021/0637

संख्या:- दिनांक:- 09/06/2021

:-कार्यक्रम :-

प्रति. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/परी. की संयोजित और सुविधा, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध/सम्बद्ध विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/06/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्ध समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में अनुमोदित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परी. समारंभ वृत्ति प्रति. अन्य सौ. पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में विवे. एवं निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ. प्र. सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें प्रविष्ट परी. समारंभ हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 1579-INDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, VILL-UMHI(KOTA), SAHARANPUR-MUZAFFAR NAGAR STA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/पै.सी/आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परी. समारंभ	परीषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परी. समारंभ
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
4	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्ध हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/पै.सी/आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, संशोधन विनियमवारी-2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अंतर पर पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अंतर पर पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के अंतर पर पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अंतर पर) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु. 22,50,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक व्यय/आव. से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के

इन्द्रप्रस्थालयक कार्यालय की जायगी।

(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

सूचक- प्रतिभागिणद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 05/08/2021

प्रतिनिधि-

INDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, VILL-
LIMHUKOTA, SAHARANPUR MUZAFFAR NAGAR STA



(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

संशोधन

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या- प्रावि/प्रावि/सम्बद्धता/2022/7817

संबंधित दिनांक- 30/08/2022

संबंधित विषय:-

प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली प्राचीन काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रूप से 2022-23 हेतु विभिन्न भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता, पूर्ण से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करने हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक से विवेक से निर्णय के अनुसार ही प्रस्तावित संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न विषयों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उनकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 1579-ANDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.एच.टी.सी/टी.टी.सी/पी.सी.टी.सी द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
4	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.एच.टी.सी/टी.टी.सी/पी.सी.टी.सी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों/वर्ष 1982, विनियमों/वर्ष 2000, रीगुलेशन विनियमों/वर्ष 2018 तथा समय-समय पर प्रिन्सिपल सचिव/डी.सी. का अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150-00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500-00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से चलाया जाएगा।

- ✓ आदेशों, उपरीक्त के अधिनियम (कानून)ओं में सुनने के सम्बन्ध में समय-समय पर सार्वजनिक द्वारा विचार किया जाने वाले सार्वजनिक प्रश्नों होंगे, और (उदाहरण के लिये) किन्हीं अन्य आवश्यक होंगे। पीछे निर्धारण समिति द्वारा यदि वह 2022-23 हेतु पीछे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीछे की तारीखें भी दी जा सकती हैं।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद् द्वारा आयोजित (यादों को ही प्रवेश दिया जायेगा)।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक के अनुसूचित विभाग एवं सम्बद्धता सुनने जमा कराया होगा।
- ✓ संस्थाएं उच्च बड़े सार्वजनिक द्वारा विभिन्न विभागों/अधिनियमों/सार्वजनिक/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, 3000 तथा प्रशिक्षक शिक्षा परीषद्, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी हैं।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुसूचित निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उदाहरणित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षक शिक्षा परीषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, प्रशिक्षक शिक्षा निर्देशक एवं प्रशिक्षक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश सार्वजनिक के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उच्च सार्वजनिक के संबंध में या, तथासर्वथा द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया लक्ष्य आदेश निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उच्च प्रवेश सार्वजनिक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित सार्वजनिक प्रश्न होने के पूरे ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुसूचित प्राप्त कर परीषद् सार्वजनिक को उपसर्ग कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यविधि के सम्बन्ध में प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षा) अनुसूचित प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रवेश सार्वजनिक द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर विभिन्न तारीखें आयोजन विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की सांख्यिकीय वृद्धि भूमि, बरतन, बाजार-संज्ञक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनने, छात्रवास सुनने आदि का विवरण उपसर्ग कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रैटिंग सिस्टम के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित सांख्यिकीय प्रत्येक वर्ष को चलाने वाले हेतु विधायक समिति के समस्त उपसर्ग करने वाले अधिनियम, सुनिश्चित, परीषद्, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रत्येक के संपादन में प्रयोग किया जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरीक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने वाले की सांख्यिकी की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत विभाग के दौरान यदि संस्था में सुनि, बरतन, परीक्षाओं, उपकरण एवं अन्य सार्व-संज्ञक ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०पी०सी०आई० के अनुसार उपसर्ग नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किया जाने अथवा नहीं का अनुपालन किये जाने की स्थिति में विद्यमान अनुसूचित सार्वजनिक कार्यवाही की जायेगी।


 (ए०आई०सी०आई०)


अतिरिक्त

सूचना- अतिरिक्तिका संख्या 3022/7818-6455

दिनांक: 30/08/2022

किसी-

संस्था/संस्थान, INDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,



(अतिरिक्तिका संख्या)

अतिरिक्त